मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/अति महत्वपूर्ण

संख्या-1505/30-4-2006-25 पी/77

प्रेषक,

श्री नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 2006

विषय- जनहित याचिका सं0-3648(एम.बी.)/2006, सुदर्शा अवस्थी बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10-8-2006 के अनुपालन में वाहनों पर लाल/नीली बत्ती, हूटर/सायरन/अवैध फिल्म आदि के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1218/30-4-2006-25 पी/77, दिनांक 11 जुलाई, 2006 एवं पत्र संख्या-1453/30-4-2006-25 पी/77, दिनांक 25 अगस्त, 2006 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि शासकीय वाहनों पर नियमानुसार ही लाल/नीली बत्ती एवं हूटर आदि का प्रयोग किया जाय तथा शासकीय वाहनों पर मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 तथा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए कोई भी कार्य न किया जाय। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में तीन माह में कृत कार्यवाही की आख्या व इस आशय का प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है कि प्रदेश के अन्तर्गत सभी वाहन जिसमें शासकीय वाहन भी सम्मिलित हैं, मोटरयान अधिनियमों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं।

.....2/-

2- अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से अभियान चलाना सुनिश्चित करें जिससे तीन माह की अवधि में इस आशय का प्रतिशपथ पत्र मा0 उच्च न्यायालय में लगाया जा सके कि प्रदेश में कोई भी वाहन उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए संचालित नहीं हो रहा है।

3- आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में 15 अक्टूबर, 2006 तक अपना स्वहस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि आपके क्षेत्र में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-6-2006 का उल्लंघन करते हुए कोई भी वाहन संचालित नहीं किया जा रहा है।

4- उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

30/08/06

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/30-4-2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र भीनवाल)
प्रमुख सचिव।